HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1754/2026

Deepak Joshi S/o Shri Munna Lal, Aged About 35 Years, R/o Sewadi, Police Station Bali, District Pali.
(Lodged In Sub Jail Bali, District Pali)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through The Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री नरेन्द्र राजपुरोहित

For Respondent(s) : श्री प्रेम सिंह पंवार, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

24/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना साण्डेराव, जिला पाली** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52/2025** अपराध अन्तर्गत **धारा 3/25 आयुध अधिनियम** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ धारा 3/25 आयुध अधिनियम के दंडनीय अपराध के आरोप है जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त की स्कॉर्पियो गाडी दिनांक 09.04.2025 को जब्त की गयी व पुलिस वालों द्वारा उक्त गाडी को थाने पर ले जाया गया। पुलिस के कथनानुसार, थाने में जब गाडी को चेक किया तो उसमें से एक लोडेड देशी पिस्टल बरामद हुई उस समय प्रार्थी/अभियुक्त और कथित तौर पर गाडी में

बैठे हुए व्यक्ति किशन लाल व श्रवण कुमार मौके पर मौजूद नहीं थे तथा पूरा ही मामला संदिग्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत विद्वान विचारण न्यायालय में इस आधार पर खारिज की गई है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज होना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.11.2025 को गिरफ्तार किया गया है तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। इस मामले में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है तथा विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए, यक्त किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को 17 आपराधिक मामलों में पंजीबद्ध होना पाया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावें।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा यह देखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.11.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है और मामले में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **दीपक जोशी पुत्र श्री मुन्नालाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52/2025 पुलिस थाना साण्डेराव, जिला पाली** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/–**

(अक्षरे एक लाख रूपए मात्र) का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे पचास–पचास हजार रूपए मात्र)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय तस्दीकशुदा प्रतिभूतियां (सत्यापित जमानतदार) प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

26-Dhanraj Jajoria /-